संख्या 2316/14-2-2016-800(71)/2016

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2 **लखनऊ, दिनांक, 15 दिसम्बर 2016**

विषय- जनपद जालौन में जालौन से उरई-बिलराया-पनवाड़ी राजमार्ग राजमार्ग सं0-21 के 352.00 से 370.45 एवं जालौन बाईपास होते हुये झांसी-भोगनीपुर-कानपुर मार्ग, एन0एच0-27 के किमी0 218.400 तक फोर लेन के निर्माण हेतु 35.71435 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2530 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-733/11सी/एफपी/यूपी/रोड/17575/2016, दिनांक 04-10-2016 तत्क्रम में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के सैद्धांतिक स्वीकृति संख्या- 8बी/यूपी/06/37/ 2016/ एफसी/202, दिनांक 28-7-2016 तथा विधिवत स्वीकृति संख्या-8बी/यूपी/ 06/37/ 2016/एफसी/300, दिनांक 19-9-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद जालौन में जालौन से उरई-बिलराया-पनवाड़ी राजमार्ग राजमार्ग सं0-21 के 352.00 से 370.45 एवं जालौन बाईपास होते हुये झांसी-भोगनीपुर-कानपुर मार्ग, एन0एच0-27 के किमी0 218.400 तक फोर लेन के निर्माण हेतु 35.71435 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2530 वृक्षों के पातन की अनुमति विषयक भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रदत्त स्वीकृति तथा राज्य सरकार की शर्तो/प्रतिबंधों को सम्मिलित करते हुए विज्ञप्ति निर्गत किया जाता हैं-

(1) भा0स0 वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(2) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि पर (35.71435× 2 = 71.43 हे0) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। उक्त वृक्षारोपण का कार्य विधिवत स्वीकृति जारी होने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जायेगा।

(3) भा0स0 अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

(4) भा0स0 परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

(5) भा0स0 प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिटटी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।

(6) भा0स0 प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(7) भा0स0 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।

shasanadesh.up.nic.in/gofmra

(8) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए
भा0स0 किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

(9) प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया
भा0स0 जायेगा। प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक Backward एण्ड Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जायेगी। उक्त सीमांकन का कार्य विधिवत स्वीकृति जारी होने के तीन माह के भीतर पूर्ण किया जायेगा।

(9) आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0)
भा0स0 सेंट्रल जोन बेंच भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16-11-2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है) तो वृक्षारोपण किया जायेगा।

(10) प्रयोक्ता अभिकरण को यदि आवश्यक हो तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के
भा0स0 प्राविधानों के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(11) प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकाकर वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून
भा0स0 तथा दिशा-निर्देशों का पालन करेगी।

(12) प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक
भा0स0 अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

(13) प्रस्तावक विभाग को संरक्षित वनभूमि के भू-स्वामित्व वाले विभाग से कार्य आरम्भ करने के पूर्व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

(14) मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

(15) प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है तो उसके लिए सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(16) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु अवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

(17) वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(18) प्रयोक्ता अभिकरण को यह वचनबद्धता देनी होगी कि यदि एन0पी0वी0 की धनराशि में इस अवधि में वृद्धि होती है तो इसका भुगतान किया जायेगा।

shasanadesh.up.nic.in/eOffice

(19) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(20) प्रस्तावित वनभूमि पर स्थित बाधक बृक्षों का पातन सिर्फ उ0प्र0 वन निगम द्वारा किया जायेगा तथा पातन की विभिन्न प्रक्रिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग, फैलिंग, लागिंग एवं ट्रान्सपोट्रेशन चार्जेज वन निगम को भुगतान करना होगा। बृक्षों के छपान का व्यय प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदान करना होगा। यह व्यवस्था भारत सरकार के पत्रांक-5-1/2007-एफसी, दिनांक 11-12-2008 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उल्लिखित है।

(21) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी हैं।

(22) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(23) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-2316 (1)/14-2-2016-तद दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1)- मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय,लखनऊ।
(2)- वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी।
(3)- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0वन निगम, लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी, जालौन ।
(5)- उप वन संरक्षक, जालौन वन प्रभाग, उरई।
(6)- अधिशासी अभियन्ता,प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उरई, जनपद जालौन।
(7)- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।

shasanadesh.up.nic.in/go/mtra